न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 06/2018

संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी,

बनाम

रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री प्रभातीलाल शर्मा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स साधूराम शर्मा मावे वाले, गोगोरियों की ढाणी, चीथवाडी, तहसील– चौमू, जिला–जयपुर। निवासी–181, बलाईयों व टूटकों का मौहल्ला, फतेहपुरा, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अभियुक्त,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) एवं 51 खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011)

उपस्थितिः–

1. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रार्थी स्वयं उपस्थित ।
2. वकील अभियुक्त अनुपस्थित, स्वयं अभियुक्त भी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 27.08.2019

यह परिवाद श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 17.10.2013 को मैसर्स साधूराम शर्मा मावे वाले, गोगोरियों की ढाणी, चीथवाडी, तहसील– चौमू, जिला–जयपुर के विक्रेता/मालिक रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा की उपस्थिति में दुकान में निरीक्षण करने पर मावा लोहे के ड्रम में लगभग 30 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय हेतु ले जाना पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच संख्या ई–1139 के लिये क्रय किया गया। क्रय की गई मावे की कीमत अंके रूपये 150/– (अक्षरे रूपये एक सौ पच्चास मात्र) मौके पर उपस्थित मालिक/विक्रेता रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा को देकर केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये मावा की जांच कराये जाने पर असानक होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा अमानक मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता जवाब पेश कर अवगत कराया कि निरीक्षण दिनांक

Scanned by CamScanner

को वह अपने परिवार के लिए मैसर्स साधुराम मावे वाले से 100 ग्राम मावा लेने आया हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी कोई परिचय नही दिया। अपितु मैसर्स साधुराम शर्मा मावे वाले ने उससे कुछ दस्तावेजों पर बतौर गवाह हस्ताक्षर करने के लिए कहा जिस पर उसने हस्ताक्षर विश्वास पर कुछ कागजों पर कर दिए मैसर्स साधुराम शर्मा मावे मावे से व उक्त दुकान से उसका कोई संबंध व सरोकार नही है। प्रकरण में अन्य का अपराध प्रार्थी पर थोपते हुए झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को मैसर्स साधुराम शर्मा मावे वाले के मालिक व उसके पुत्र मुकेश कुमार शर्मा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मिली–भगत कर उक्त अपराध में झूंठा फंसाया गया है। अतः उक्त परिवाद खारिज किया जावें। अभियुक्त द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि प्रथमतः मैसर्स साधुराम शर्मा मावे वाले से उसका कोई संबंध व सरोकार नही है। द्वितीयतः उक्त परिवाद में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त प्रकरण में जो मावा शीशियों में नमूना लिया गया है उन शीशियों को मौके पर साफ नही किया गया था। बिना साफ किये ही नमूना लिया गया है उसके पश्चात् नमूना सैम्पल को फ्रीज में नही रखा गया जिससे औसत मात्रा में फैट आना थोडा कम संभावित है।परिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त 2009 (1) क्रिमिनल कोर्ट केसेज पेज नं0 206, 2000(2) एफएसी 238, 2010 (4) क्रिमिनल कोर्ट केसेज पेज नं0 67, 190 (1) WLN पेज नं0 494, 2014 (2) ACJ, 602 (SC) एवं 2004 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 292 (SC) पेश किये तथा निवेदन किया कि प्रकरण में आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही हुई है। अतः परिवादी का परिवाद खारिज किया जावें। वकील अभियुक्त एवं स्वंय अभियुक्त भी अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 जिसका राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 26.07.2011 में प्रकाशन हुआ है, के द्वारा प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई है तथा आदेश क्रमांक एच/एफएसएसए/आदेश/2013/132 दिनांक 12.02.2013 द्वारा जयपुर प्रथम कार्यक्षेत्र आंवटित किया गया है। प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आवंटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 17.10.2013 को अभियुक्त के विक्रय स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर पुछताछ करने पर यह मावा रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा का होना बताया। मौके पर श्री रामबाबू उर्फ बाबूलाल को बुलवाया गया। श्री रामबाबू उर्फ बाबूलाल को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिचय देकर पूछने पर रामबाबू उर्फ

Scanned by CamScanner

बाबूलाल ने जांच हेतु नमूना लिये गये मावे को स्वयं का होना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर नमूना जांच हेतु 1 किलोग्राम मावा की कीमत अंके रूपये 150/–(अक्षरे रूपये एक सौ पच्चास मात्र) रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा को देकर क्रय किया गया केश मीमो–रसीद रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा से गवाहान के सामने प्राप्त की मौके पर नमूना जांच नम्बर ई–1139 दर्ज किया गया और मौके पर प्ररूप 5ए तैयार कर एक प्रति अभियुक्त को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अभियुक्त रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा के अंकित है। इस प्राप्ति रसीद पर रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा के साथ ही 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है मौके पर ही अभियुक्त एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। प्रार्थी ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./1889/एक्ट./2013/1061 दिनांक 25.11.2013 प्ररूप बी में नमूना कोड नम्बर और सीरियल नम्बर ई–1139 को अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि अभियुक्त रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री प्रभातीलाल शर्मा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स साधूराम शर्मा मावे वाले, गोगोरियों की ढाणी, चीथवाडी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ मावे का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/अधिसूचना/2011/440 दि0 26.07.2011 की प्रति।

चौमू क्षेत्र प्रार्थी को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/एफएसएसए/आदेश/2013/132 दिनांक 12.02.2013 की प्रति।

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.10.2013 को नमूने के लिऐ क्रय किये 1 किलोग्राम मावा के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 17.10.2013 को दिये गऐ केश–मीमो की प्रति जिस पर स्वयं रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा के है ।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर रामबाबू उर्फ बाबूलाल शर्मा के हस्ताक्षर है ।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अमानक खाद्य पदार्थ होना अंकित है।

प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है। खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट प्रारूप–बी दिनांक 25.11.2013 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नही है। अभियुक्त के पास वरवक्त निरीक्षण अमानक खाद्य पदार्थ मावा उपलब्ध था जिसमें फेट की मात्रा निर्धारित नॉर्म्स 30.0 प्रतिशत के स्थान पर 27.50 प्रतिशत पायी गई है। अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ मावा विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त के कृत्य के लिये राशि रूपये 50,000 (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 27.08.2019 को सुनाया गया।

27.8.19

(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर

Scanned by CamScanner